

दिनांक - 29,01,2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा शस्त्र अधिनियम के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास से किया दण्डित।

कार्यवाही:-

दिनांक 17.09.2020 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त गालिब पुत्र जाहिद निवासी ग्राम टिक्कोपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 606/20 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम गालिब उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 29.01.2024 को मा० न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्त गालिब पुत्र जाहिद निवासी ग्राम टिक्कोपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को 03 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता 🗕

गालिब पुत्र जाहिद निवासी ग्राम टिक्कोपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



दिनांक - 29,01,2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा शस्त्र अधिनियम के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास व ₹ 5,000 के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही:-

दिनांक 14.11.2020 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त सलीम पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम लालवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस सिहत गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 302/20 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम सलीम उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 29.01.2024 को मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्त सलीम पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम लालवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को 03 वर्ष के कारावास व रू 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता -

सलीम पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम लालवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर



प्रेस नोट - थाना अफजलगढ दिनांक 29-01-2024

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 470/23 धारा 307/323/504/506/427 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.12.2023 को वादिनी श्रीमती रिंकी त्यागी पुत्री बलराम सिंह निवासी ग्राम आनन्दीपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर नें थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1- अमित त्यागी पुत्र रणजीत त्यागी 2- रणजीत त्यागी 3- बाला पत्नी अमित त्यागी निवासीगण ग्राम आनन्दीपुर थाना



अफजलगढ जनपद बिजनौर आदि ने वादिनी के परिजनों के साथ गाली गलौच करते हुये जान से मारने की नियत से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया व जान से मारने की धमकी दी गयी । इस सम्बंध में थाना अफजलगढ पर मु०अ०स० 470/2023 307/323/504/506/427/325 भादवि मे पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.01.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 470/23 धारा 307/323/504/506/427 भादवि में वांछित अभियुक्त अमित त्यागी पुत्र रणजीत त्यागी निवासी ग्राम आनन्दीपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –</u>

अमित त्यागी पुत्र रणजीत त्यागी निवासी ग्राम आनन्दीपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर। <u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –</u>

- 1- उ0नि0 श्री मुकेश राजौरा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
- 2- का0 2487 शैलेन्द्र थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
- 3- का0 1815 आकाश थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर प्रेस नोटः- थाना अफजलगढ

दिनाँक 29.01.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शराब के निष्कर्षण/बिक्री/परिवहन में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त सलमान पुत्र महमूद नि0 मौ0 गौहर अली खां करूबा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को 20 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 29/2024 धारा 60(1) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

सलमान पुत्र महमूद नि0 मौ0 गौहर अली खां करूबा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरणः-

20 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.का0 293 राहुल थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

2.का0 1821 जाबिर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर दिनांक:-29.01.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में 07 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैर जमानती वांरट की तामील, वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.01.2024 को जनपदीय पुलिस द्वारा 07 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है:-

| क्र0सं0 | नाम थाना | गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता |
|---------|-------------|---|
| 1 | हीमपुर दीपा | शमशाद उर्फ पत्तू पुत्र अ0 समी निवासी ग्राम रेहरा थाना हीमपुर दीपा बिजनौर। |
| 2 | मण्डावली | मौ० अनवार पुत्र मौ० नूर अहमद निवासी ग्राम व थाना मण्डावली बिजनौर। |
| 3 | को० शहर | सुधीर कुमार शर्मा पुत्र महेश शर्मा निवासी हाईड्रिल कालोनी थाना को0 शहर बिजनौर |
| 4 | को0 शहर | सोनू पुत्र रिंकु निवासी ग्राम निजामतपुरा थाना को0 शहर बिजनौर। |
| 5 | नगीना | शकील पुत्र शमीम निवासी मौ0 मीर सराय कस्बा व थाना नगीना बिजनौर। |
| 6 | नगीना | विपिन पुत्र मोहन निवासी ग्राम अलीगढ थाना नगीना बिजनौर । |
| 7 | रेहड | राजकुमार पुत्र जयप्रकाश नि0 ग्राम दहलावाला थाना रेहड जिला बिजनौर । |





थाना हीमपुर दीपा

थाना मण्डावली





थाना कोतवाली शहर





थाना नगीना



थाना रेहड



दिनांक - 29.01.2024

थाना नांगल पुलिस ने मु0अ0सं0 05/2024 धारा 436 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 03.01.2024 को वादी श्री सुमित कुमार पुत्र मुकेश निवासी पुण्डरी खुर्द थाना नांगल जनपद बिजनौर ने थाना नांगल पर तहरीर दी कि स्विफ्ट डिजायर गाडी सं0 HR68C8578 पर वादी बतौर ड्राइवर नौकरी करता था। दिनांक 26.04.2023 को वादी की गाडी में अज्ञात कारणों से आग लग गयी थी, किन्तु बाद में वादी को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली जिसमें एक व्यक्ति स्वीकार कर रहा है कि गाडी में आग उसी ने लगाई थी। तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर



मु0अ0सं0 05/2024 धारा 436 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्त विपिन पुत्र कैलाशचन्द निवासी पुण्डरी खुर्द थाना नांगल जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।

कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.01.2024 को थाना नांगल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 05/2023 धारा 436 भादिव में प्रकाश में आये अभियुक्त विपिन पुत्र कैलाशचन्द निवासी पुण्डरी खुर्द थाना नांगल जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

विपिन पुत्र कैलाशचन्द निवासी पुण्डरी खुर्द थाना नांगल जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

उ0नि0 श्री योगेश कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर हे0कां0 549 विकास थाना नांगल जनपद बिजनौर कां0 1211 संजय सैनी थाना नांगल जपनद बिजनौर



दिनांक - 29.01.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने 02 अभियुक्तों को चोरी की गयी बैट्री सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 28.01.2024 को वादी श्री शिवनाथ सिंह पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम कुरी बांगर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी के ट्रैक्टर स्वराज 707 की बैट्री चोरी कर ली है। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 38/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.भूदेव पुत्र बब्लू सिंह 2.सोभित पुत्र पूरन



सिंह निवासीगण ग्राम कुरी बांगर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम व चोरी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.01.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तगण 1.भूदेव पुत्र बब्लू सिंह 2.सोभित पुत्र पूरन सिंह निवासीगण ग्राम कुरी बांगर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को चोरी गयी बैट्री सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादिव की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

- 1 भूदेव पुत्र बब्लू सिंह निवासी ग्राम कुरी बांगर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.सोभित पुत्र पूरन सिंह निवासी ग्राम कुरी बांगर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगी -

ट्रैक्टर की एक बैट्री

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.व0उ0नि0 श्री सुरजीत सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.हे0 कां0 707 शकील अहमद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 3.कां0 40 लोकेश थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



दिनांक - 29-01-2024

थाना नहटौर पुलिस ने अभियुक्त को 22 पाउच अवैध देशी शराब सहित किया गिरफ्तार।

<u>कार्यवाही –</u>

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद मे अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शराब की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नहटौर पुलिस द्वारा अभियुक्त थानी सिंह पुत्र जगत सिंह निवासी ग्राम जरीफपुर चतर थाना नहटौर जनपद बिजनौर को 22 पाउच अवैध देशी शराब (फाईटर मार्का) सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध मे थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 35/2024 धारा 60(1) आबकारी अधि0 बनाम थानी सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –</u>

थानी सिंह पुत्र जगत सिंह निवासी ग्राम जरीफपुर चतर थाना नहटौर जनपद बिजनौर

बरामदगी -

22 पाउच देशी शराब (फाईटर मार्का)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1.कां0 2325 नदीम खांन थाना नहटौर जनपद बिजनौर

2.कां0 1756 सुमित कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर